रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1972/पौष 29, 1893

No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 1972/PAUSA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January 1972

No. RS. 1/1/72-L.—The following order by the President, dated the 18th January, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11 A.M. on Monday, the 13th March, 1972, at New Delhi.

V. V. GIRI,
PRESIDENT."

The 18th January, 1972.

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1972

संख्या आर० एस० 1/1/72-रूल.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 18 जनवरी, 1972, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 13 मार्च, 1972 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिये आमन्त्रित करता हूं।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।'

18 जनवरी, 1972।

वी० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972